(17)

रजिस्ट्री सं॰ डी॰एल॰—33004/96

REGD. NO. D.L.—33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 24] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 12, 1996/पौष 22, 1917

No. 24] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 12, 1996/ PAUSA 22, 1917

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 1996

सा॰का॰नि॰ 28 (अ).—अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (पंचायत) विनियम, 1994 की धारा 186 की उप-धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, एतद्द्वारा संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए वित्त आयोग (सेवा की शर्तों और अन्य विविध उपबंध) नियमावली, 1995 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों को "संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए वित्त आयोग (सेवा की शर्तें और अन्य विविध उपबंध) (संशोधन) नियमावली, 1995" कहा जाए।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए वित्त आयोग (सेवा की शर्तें और अन्य विविध उपबन्ध) नियमावली, 1995 के नियम 7 के उप नियम (2) में, विद्यमान परन्तुक के पश्चात, निम्नलिखित परन्तुक को जाड़ा जाएगा, अर्थात् :-

"परन्तु यह भी कि आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य आयोग में अपनी नियुक्ति के समय, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अन्तर्गत पहले की गई किसी सेवा के लिए पेंशन (विकलांगता या जख्मी होने के कारण मिलने वाली पेंशन को छोड़कर) प्राप्त कर रहा है तो आयोग की सेवा के लिए उनको मिलने वाले वेतन में से पेंशन की उक्त राशि को कम कर दिया जाएगा ।"

(ii) नियम 7 के उप-नियम (3) में "उच्चतम ग्रेड के केन्द्र सरकार के अधिकारी" शब्दों के स्थान पर "सचिव, भारत सरकार" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

[फा॰ सं॰ यू॰-11022/1/94-यूटीएल]

वी॰ के॰ मल्होत्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :—मूल नियमावली दिनांक 8 सितम्बर, 1995 को सा॰ का॰ नि॰ सं॰ 626 (ई॰) के द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th January, 1996

G.S.R. 28 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 186 of the Andaman and Nicobar Islands (Panchayats) Regulation, 1994, the President hereby makes the following rules to amend the Finance Commission for the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands (Conditions of Service and other Miscellaneous Provisions) Rules, 1995, namely:—

1. (1) These rules may be called the Finance Commission for the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands (Conditions of Service and Other Miscellaneous Provisions) (Amendment) Rules, 1995.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Finance Commission for the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands (Conditions of Service and Other Miscellaneous Provisions) Rules, 1995:—

(i) In sub-rule (2) of rule 7, after the existing proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that if the Chairman or any Member of the Commission, at the time of his appointment, is in receipt of pension (other than disability or wound pension) in respect of any previous service under the Government of India or under the Government of a State, his salary in respect of service in the Commission shall be reduced by the amount of that pension".

(ii) In sub-rule (3) of rule 7, for the words "highest grade Central Government Officer" the words, "Secretary to the Government of India" shall be substituted.

[F. No. U-11022/1/94-UTL]
V. K. MALHOTRA, Jt. Secy.